

कार्मिक अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा

आदेश

राजस्व पट्टे, बिहार, पाना को अधिसूचना संख्या-4/टेक/3003/96-175 दिनांक 27/2/2006 के आशोक में विधि व्यवस्था बनाते रूपमें हेतु महावीर जमनी के अक्षर पर दिनांक 13-4-2014 के जिले में अवस्थित सभी प्रकार के शराब दुकानें बन्द रहेंगी/आदेश का उल्लंघन करने पर सरतकारवाई की जायेगी।

—

प्र० अधीक्षक उत्पाद,  
मधेपुरा।

आप संख्या —/30, दिनांक

प्रतिक्षेप निरोधक उत्पाद, मधेपुरा/अकर निरोधक उत्पाद श्री राजेंद्र प्रसाद/श्री ज्योति भूषण/श्री सोमेश्वर घण्टा/प्रतिनिधि सर्व श्री महायार्थी कोरीलंग प्लान प्रा०/डॉ० देवीशराव विनिर्माणशाला, मधेपुरा/डिपो प्रबन्धक देवी शराव/दिदेवी शराव को ए० व० सी० ए० मधेपुरा को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी अकर निरोधक उत्पादों के निवेदित किया जाता है कि अपने-अपने अंचल के अन्तर्गत फुनेवाले सभी शराब दुकानों को संसप्त बन्द कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही घटन गरीब एवं हाथमारी करेंगे नाकि किसी भी श्रेण के शराब को प्रेषित नहीं हो सके।

—

प्र० अधीक्षक उत्पाद,  
मधेपुरा

आप संख्या 519/30, दिनांक 10/5/2014  
प्रतिक्षेप जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को  
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/5/14  
प्र० अधीक्षक उत्पाद,  
मधेपुरा।